रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-7/2026/694/22-2-2025-17(981)/2021

लखनऊ: दिनांक: 07 जनवरी, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (एक्ट संख्या-2, 1974) की धारा-432 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कारागार, फिरोजाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अमित शर्मा (बन्दी संख्या-609/2018) पुत्र श्री रामसनेही शर्मा, निवासी- शिव कॉलोनी यमुनापुरम, थाना-कोतवाली देहात, जनपद-बुलन्दशहर, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-305/2005 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-304बी व 3/4 डी०पी० एक्ट के अन्तर्गत मा० अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय, न्यायालय संख्या-17, बुलन्दशहर के आदेश दिनांक 02.07.2009 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 20.01.2021 द्वारा बंदी की अपील निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत् रखा गया। मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 08.04.2021 द्वारा बन्दी की अपील निरस्त करते हुये आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। दिनांक 17.12.2024 तक 15 वर्ष, 08 माह, 18 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष, 07 माह, 15 दिन की सपरिहार सजा को दृष्टिगत रखते हुए बन्दी के नामिनल रोल पर सम्यक् विचारोपरान्त उनकी शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त बन्दी को जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर बंदी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार

उप सचिव।

संख्या-7/2026/694(1)/22-2-2025 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।

2- जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर।

3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर।

4- अधीक्षक, जिला कारागार, फिरोजाबाद।

5- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ममता श्रीवास्तव

अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।